श्रीयुत मोहन्ता माइनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटिड, गांव व डाकघर बाथड़ी तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) द्वारा मौजा बाथड़ी, तहसील हरोली जिला ऊना (हि.प्र.) में तदादी 08-98-35 हैक्टेयर में सिलिका पत्थर, रेत, पत्थर व बजरी के खनन/संग्रह के लिए सिलिका बालू/बजरी की प्रोसेसिंग एवं उत्पादन के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण:

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2014 को प्रातः 11:00 बजे **गांव व डाकघर बाथड़ी तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) मौजा बाथड़ी, तहसील हरोली जिला ऊना (हि.प्र.) में रक्बा तदादी 08-98-35 हैक्टेयर में रेत, पत्थर व बजरी के खनन एवं संग्रह के** प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्नक-1 पर उपलब्ध है। इस जन सुनवाई के दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, खनन अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी व पंचायत उपप्रधान बाथड़ी व बाथू तथा साथ लगते गावों के निवासी उपस्थित थे। सर्व प्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता ऊना ने अध्यक्ष महोदय व जनता का अभिनन्दन किया व जन सुनवाई की कार्यवाही प्रक्रिया शुरू की । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना ने उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस खनन क्षेत्र के सम्बंध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो निंसकोच पूछ सकते है। तत्पश्चात स्टोन क्रशर के परामर्शदाता डा. आर.एस. सैणी (मैर्सज़ उदयपुर मिनटेक प्राईवेट लिमिटिड) के प्रतिनिधि द्वारा खनन क्षेत्र के प्रारूप और विस्तरित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाया गया ।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ की गई । इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी भी की गई। इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र.	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री नसीब सिंह गांव बाथू तहसील हरोली जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाये। इसका खनन पट्टा दिया जाना चाहिए क्योंकि खनन् बंद होने से रेत बजरी के मूल्य काफी बढ़ गये हैं ।	परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत सरकार के नियमानुसार रोजगार दिया जाएगा तथा प्रयास किया जायेगा कि 100 प्रतिशत स्थानीय लोगों को योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाये। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को 25 प्रतिशत की छूट रेत व बजरी पर दी जायेगी तथा स्थानीय विकास के कार्यो के लिए मुफत में रेत बजरी दी जाएगी।
2.	श्री रामपाल पुत्र श्री दाताराम गांव बिटन, तहसील हरोली जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए।	परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी तथा योग्यता के अनुसार लोगों को रोजगार दिया जायेगा।

3.	श्री जसमेर सिंह पुत्र चमेर सिंह, गांव कालूआ, डाक. बाथू, तहसील हरोली जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाये।	परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी तथा योग्यता के अनुसार लोगों को रोजगार दिया जायेगा।
4.	श्री बलवीर सिंह राणा, उपप्रधान बाथड़ी, तहसील हरोली जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होने कहा कि नदी में खनन् एक तरफ से करने पर पानी का बहाव एक तरफ हो गया है। अतः खनन् इस तरह किया जाये कि नदी के पानी का प्राकृतिक बहाव वाधित न हो तथा क्रेशर से निकलने वाला शेष रेत व बजरी (waste material) खनन किये हुए क्षेत्र के गड्डों में डाला जाये। पानी का सड़कों पर ज्यादा छिड़काव किया जाये ताकि धूल मिट्टी न उड़े।	परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि खनन्, खनन् योजना व खनन् प्रक्रिया के नियमानुसार ही किया जायेगा ताकि पानी का प्राकृतिक बहाव वाधित न हो। सड़कों पर समुचित तरीके से पानी का छिड़काव किया जायेगा ताकि धूल मिट्टी न उड़े ।

अन्त में वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ऊना ने जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों का विवरण पढ कर सुनाया तथा सभी प्रतिभागियों और स्थानीय प्रशासन का पर्यावरण सम्बन्धी जन सुनवाई में भाग लेने पर धन्यवाद किया ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला ऊना (हि.प्र.)